Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अनुपगढ़ (श्रीगंगानगर) में राजस्थान पथ परिवहन निगम का वरिष्ठ सहायक 15 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *05 जुलाई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की श्रीगंगानगर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये भूपराज पारीक, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय राजस्थान पथ परिवहन निगम, अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर को परिवादी से 15 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की श्रीगंगानगर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्व लगाये गये अवैध सवारियों के रिमार्क सम्बन्धी फैसला उसके पक्ष में उच्चाधिकारियों से करवाने की एवज में भूपराज पारीक, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय राजस्थान पथ परिवहन निगम, अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर द्वारा 15 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी श्रीगंगानगर के **उप पुलिस अधीक्षक श्री भूपेन्द्र सोनी** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री विरेन्द्र सीला** मय उनकी टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये भूपराज पारीक पुत्र श्री चेतराम, निवासी पक्का सहारणा, तहसील व जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी वार्ड नं. 03 अनुपगढ़ हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय राजस्थान पथ परिवहन निगम, अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर को परिवादी से 15 **हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्व अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्व भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।